न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः–460/2020 (GCMS No. 2020/00482) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भगवानसिंह उम्र 43 साल
2. गोपाल उम्र 35 साल

} पुत्रान स्व. रामभरोसी जाति तमोली निवासी मासलपुर हाल आबाद दिल्ली।

3. सुआवाई उम्र 40 साल पुत्री स्व. रामभरोसी जाति तमोली निवासी मासलपुर हालवासी खरैरी जिला भरतपुर (राज.)

..........अपीलांट्स

बनाम

1. **(मृतक)** विद्यावाई पुत्री सांवलिया उम्र 75 साल जाति तमोली निवासी मासलपुर हाल निवासी गोमती कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली (राज.)
2. सरपंच ग्राम पंचायत नारायणा तहसील तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)
3. तहसीलदार मासलपुर लैण्ड होल्डर जिला करौली (राज.)

.........रेस्पोडेन्ट्स

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली अपील संख्या 26/2008 उनवानी विद्यावाई बनाम भगवानसिंह वगै. ।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री राजेश सोगरवाल, वकील
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय पैरोकार श्री निरंजन सिंह, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 13.10.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 31.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पो. विद्यावाई बाल्य अवस्था से ही सन्त श्री गौमतीदास जी की शिष्या है। 15 वर्ष की अवस्था से ही महात्माजी के साथ बतौर शिष्या रह रही है। वह बाल्यकाल की अवस्था से स्व. बृजमोहन पुत्र ग्यारसा अपीलांट के साथ नहीं रही है और न ही ग्राम मासलपुर में रही है। उसने कभी इतनी लम्बी अवधि में बृजमोहन की सेवा नहीं की है। बृजमोहन के साथ 60 साल के अर्सा से ही रही है।

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

बृजमोहन, विद्यावाई के हक में विधिवत वसीयत नहीं की है और न ही बृजमोहन द्वारा सेवा से प्रसन्न होकर वसीयत कराई है। बृजमोहन के साथ अपीलांट के पिता रहते हुये 1987 में स्वर्गवासी हुये हैं। 1987 से पूर्व से ही विद्यावाई का निवास स्थल करौली गोमती कॉलोनी में गोमतीदास जी के आश्रम में रहा है। वसीयत का विधिवत तौर पर निष्पादन नहीं हुआ है। बृजमोहन ने विद्यावाई के हक में स्वस्थ्यचित्त से स्वैच्छा पूर्वक दो गवाहान के समक्ष वसीयत नहीं की है। वसीयत के निष्पादन के अनुप्रमाणीकरण हस्ताक्षर निशानी नहीं हैं। ऐसी वसीयत के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 384 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा स्थित ग्राम अनीजरा में कोई हक हकूक खातेदारी अधिकार विद्यावाई के हक में अन्तरित नहीं होते हैं। वसीयत पूर्णतया अवैध है। इस प्रकार अपीलांटस के विरूद्ध धोखापूर्ण कार्यवाही कराकर एक पक्षीय कार्यवाही रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय में कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में मात्र रजिस्टर्ड वसीयत होने के आधार पर रेस्पो. विद्याबाई के हक में निर्णय पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से पैरवी हेतु श्री पंकज कुमार ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये। रेस्पो. नं. 1 की मृत्यु होने पर श्री पंकज कुमार वकील अनुपस्थित रहे।
3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो. संख्या 1 विद्यावाई बाल्यकाल में सन्त श्री गोमतीदास की शिष्या बन गई। रेस्पो. सं. 1 जीवन पर्यन्त सन्यासी रही है। रेस्पो. सं. 1 ने बृजमोहन की कोई सेवा नहीं की और न ग्राम मासलपुर में रही है। इसलिए बृजमोहन का विद्यावाई के हक में वसीयत करने का का प्रश्न ही नहीं है। वसीयत में न तो किसी गवाह के हस्ताक्षर हैं और न ही वसीयत के गवाह द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणित कराया है। उक्त कथित वसीयत के आधार पर आज तक रेस्पो. संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय से उद्‌घोषणा नहीं चाही है। कानून के अनुसार कथित वसीयत को परखने और जॉच का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कथित वसीयत में वसीयतकर्ता की निशानी अंगूठा बताया है जबकि वसीयतकर्ता बृजमोहन पढा लिखा था तथा हस्ताक्षर करता था। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कथित वसीयत हेतु जो स्टाम्प है वह न तो वसीयतकर्ता द्वारा खरीदा गया और न वसीयतग्रहीता द्वारा खरीदा गया है। स्टाम्प किसी तृतीय पक्षकार मोहनलाल द्वारा खरीदा गया है। इस प्रकार कथित वसीयत रेस्पो. विद्यावाई द्वारा मिलजुलकर बनाई गई तथा संदेहपूर्ण प्रतीत होती है। अपीलांटस सं. 1 व 2 दिल्ली में निवास करते है तथा अपीलांट सं. 3 भरतपुर में निवास करती है। रेस्पो.

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

संख्या 1 द्वारा कोई नोटिस अपीलांटान के पते पर नहीं भेजा है। रेस्पो. ने बहुत ही चालाकी से राष्ट्रदूत अखबार में साया तामील हेतु कराया है जो दिल्ली व भरतपुर में प्रचलन में नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई तथ्य विधिवत ऐसा नहीं है जिससे वसीयत का अनुप्रमाणीकरण साबित होता हो। अपीलांट को ग्राम मासलपुर आने पर अपनी आराजी पर पहुँचने पर विद्यावाई के भाई ने दिनांक 22.11.2015 को अपीलांट भगवानसिंह को कहा कि खसरा नम्बर 384 के बावत् विद्यावाई के हक में उप जिलाधीश करौली से निर्णय हो गया है तुम इस जमीन को काश्त नहीं करना। इस पर दिनांक 23.11.2015 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया, जिसकी नकल दिनांक 26.11.2015 को प्राप्त हुई। जानकारी दिवस दिनांक 22.11.2015 से दिनांक 31.07.2015 के मध्य समय अवधि अपीलांट की जानकारी एवं ज्ञान के अभाव में क्षम्य किये जाने योग्य है। जानकारी दिनांक 22.11.2015 से अपील अपीलांट अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील के समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीरें यथा 2013 डीएनजे (S.C) पेज 62, 1998 डीएनजे (S.C) पेज 150, एआईआर 1990 एस.सी. पेज 1742 एवं 2007 (2) सीसीसी पेज 141 (S.C) भी उद्वत की। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 31.07.2015 अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 26/2008 न्यायालय उप जिला कलक्टर करौली उनवानी विद्याबाई बनाम भगवानसिंह खारिज फरमाई जावे।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांटस द्वारा यह अपील मियाद बाहर पेश की जो संधारणीय नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा माननीय न्यायालय के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालयों के समय–समय पर पारित

निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 07.01.1987 का अवलोकन करने पर पाया कि बृजमोहन लाऔलाद बिला औरत था और उसने विद्याबाई पुत्री सांवलिया जाति तमोली निवासी मासलपुर के बारे में उसने कथन किया है कि " मेरी सेवा विद्याबाई बहुत दिनों से कर रही है, मैं उसे अपनी पुत्री बतौर मानता हूँ एवं इसकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी चल सम्पत्ति में से ख.नं. 384 रकवा 1.10 बीघा वांके ग्राम अनीजरा विद्याबाई पुत्री सांवलिया को तमोली को मिले। इस आराजी बावत् खातेदारी हक विद्याबाई को प्राप्त हो। यह वसीयत मैने अपनी इच्छा से होश हवास तंदुरूस्ती प्रसन्नचित से वगैर किसी दबाव के सुन समझ कर लिख दिया ताकि सनद रहे वक्त वरवक्त काम आवे।" वसीयत की पुश्त (बैक) पर स्टाम्प लेने वाले का नाम बृजमोहन लिखा है, वसीयत में दो गवाहों – मुरारीलाल पुत्र भिक्की व जगदीश पुत्र भरोसी के नाम पते एवं हस्ताक्षर अंकित हैं और वसीयत दिनांक 07.01.1987 को श्री द्वारका प्रसाद मीणा सब रजिस्ट्रार मासलपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर निष्पादित होना अंकित है। इस प्रकार वसीयतनामा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वसीयत विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुये निष्पादित हुई है जिसपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय ही कर सकता है। अपीलांटस द्वारा इस वसीयत को सिविल न्यायालय में कभी भी चुनौती नहीं दी गई है जिससे वसीयत को किसी प्रकार अमान्य या अवैधानिक नहीं माना जा सकता है। जहां तक वसीयत का प्रश्न है तो वसीयतकर्ता ने अपनी संपूर्ण आराजीयात विद्याबाई के नाम नहीं करके केवल एक खसरा नम्बर ही उसकी सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर वसीयत की है। विद्याबाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राष्ट्रदूत अखबार में तामील/सूचना हेतु प्रकाशन करवाया था जो कि राज्य स्तरीय अखबार है और इस संबंध में यहां तामील के बारे में अपीलांटस के कथन/तर्क बेमानी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों से हम कतई भी सहमत नहीं है तथा साथ ही उनके द्वारा उद्दृत माननीय न्यायालय की नजीरें भी उनकी मददगार साबित नहीं हैं।इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांटस की अपील कतई भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

9. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 31.07.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर